10

|| न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ||

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व वाद नं० 1/364 तारीख रज्जू 13.10.2008

2008/115 दीवानी

01– हीरामन सैनी पुत्र श्री किशनलाल सैनी जाति सैनी, निवासी ग्राम उमरैण तहसील व जिला अलवर (मृतक)

1/1 श्रीमती आनन्दी देवी धर्म पत्नी स्व० श्री हीरामन सैनी

1/2 ताराचन्द पुत्र स्व० श्री हीरामन सैनी

1/3 बेनीप्रसाद सैनी पुत्र स्व० श्री हीरामन सैनी

1/4 सुमित्रा सैनी पुत्री स्व० श्री हीरामन सैनी

1/5 चन्दा सैनी पुत्री स्व० श्री हीरामन सैनी

1/6 अंगूरी सैनी पुत्री स्व० श्री हीरामन सैनी

1/7 मिसरो सैनी पुत्री स्व० श्री हीरामन सैनी

1/8 कमली सैनी पुत्री स्व० श्री हीरामन सैनी जातियान माली निवासियान उमरैण तहसील व जिला अलवर।

02– रामचरण सैनी पुत्र श्री किशन लाल सैनी जाति माली निवासी बनिया का बाग, जयपुर रोड, अलवर

–वादीगण

बनाम

01– प्रेमकुमार सैनी पुत्र श्री गंगालहरी सैनी जाति माली निवासी लालडिग्गी के पीछे, अलवर

02– जनार्दन उर्फ शेरू सैनी पुत्र श्री गंगालहरी सैनी, जाति सैनी निवासी मौहल्ल लालडिग्गी, शिव मंदिर के पीछे, अलवर

03– गंगालहरी सैनी पुत्री श्री शोभाराम सैनी जाति माली निवासी मौहल्ला लालडिग्गी, शिव मंदिर के पीछे, अलवर

04– बसन्त कुमार सैनी पुत्र श्री महेन्द्र कुमार सैनी

05– हेमन्त कुमार सैनी पुत्र श्री महेन्द कुमार सैनी

06– पिंकी सैनी पुत्री महेन्द्र कुमार सैनी जातियान माली निवासियान मौहल्ला लालडिग्गी, शिव मंदिर के पीछे, अलवर

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(11)

दावा अन्तर्गत धारा 188 राज० काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांक: 21.06.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 188 के अन्तर्गत पेश किया है। वाद में कथन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 0.62 है०, 153 रकबा 0.13 है० व 156 रकबा 0.49 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.24 है० वाके ग्राम बाढ केसरपुर तहसील व जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजीयात में मौके पर एक पुख्ता कमरा आगे बरामदा एवं जीना एक गैरेज व एक पक्का चबूतरा बना हुआ है जो काश्तकारी कार्य में चारपाई, फावडा, परात, तूडा, बीज व फसल रखने के काम आते है। आराजी वादीगण के खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादीगण का कब्जा है। आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 0.62 है० व 156 रकबा 0.49 है० को वादीगण द्वारा जोत लगाई हुई है एवं खसरा नम्बर 153 रकबा 0.13 है० पडत पडा हुआ है। प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है, जो काफी खुखार, लडाका किस्म के लोग है जिन्होनें वादीगण के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बनाया हुआ है। आये दिन वादीगण के साथ लडाई–झगडा करते रहते है। प्रतिवादीगण दिनांक 24.05.2007 को अन्य लोगों को साथ लेकर आराजी खसरा नम्बर 153 रकबा 0.13 है० की डोल को जबरन तोडने व जबरन जोतने की कोशिश की, जबरन कब्जा करने की कोशिश की। दीगर नम्बरों पर लगाई गई जोत को पलटने की कोशिश की। प्रतिवादीगण को उक्त आराजी को जोतने से मना किया तो ये लोग आमादा फिसाद हो गये और धमकी दी वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करेंगे। हल्ला होने पर आस पडोस के लोग आ गये जिनकी वजह से ये लोग वहां से चले

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(12)

गये। प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अलावा वादीगण के पास ओर कोई विकल्प नही रहा। वादग्रस्त आराजी न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है। यही पर वाद का कारण पैदा हुआ है एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी एवं मौके पर एक पुख्ता कमरा आगे बरामदा एवं जीना एक गैरेज व एक पक्का चबूतरा बना हुआ है तथा मौके पर कृषि कार्य में व चारपाई, फावडा, परात, तूडा, बीज व फसल रखने के काम आते है। वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थगन आदेश पाबन्द कराने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा एवं काउण्टर क्लेम पेश किया। जिसमें वादग्रस्त आराजी ग्राम बाढकेसरपुर तहसील व जिला अलवर में स्थित होना बताया है एवं काउण्टर क्लेम के चरण संख्या 1 में वाद को इस सीमा तक स्वीकार किया है कि आराजी खसरा नम्बर 156 रकबा 0.49 है० के खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता किशन लाल सैनी थे लेकिन उनके द्वारा दिनांक 25.06.1962 को प्रतिवादीगण के पिता गंगालहरी सैनी को उक्त आराजी काश्त के लिए दे दी गई व खसरा नम्बर 81 रकबा 0.62 है० एवं खसरा नम्बर 153 रकबा 0.13 है० से हम प्रतिवादीगण का कोई संबंध, सरोकार, वास्ता व कब्जा नही है। खसरा नम्बर 156 रकबा 0.49 है० जो वादीगण के पिता किशनलाल ने प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गंगालहरी को दी थी जिस आराजी पर प्रतिवादीगण अपने बुजुर्ग गंगालहरी व वादीगण के बुजुर्ग किशनलाल के जीवनकाल से आज तक बिना किसी रोकटोक शान्ति पूर्वक वादीगण की जानकारी में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है जिस पर हमारा लगभग 45 वर्ष से निरन्तर कब्जा खुल्लम खुल्ला रूप से चला आ रहा है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 156 पर हमारा कब्जा

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

13

मुखालफाना हो चुका है। प्रतिवादीगण उक्त खसरा नम्बर पर खातेदार अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त आराजी को खरीद करने के बार सन् 1973 में प्रतिवादीगण ने उक्त खसरा नम्बर में एक कमरा, बरामदा, गैराज, जीना, ऊपर रसोई का निर्माण किया है जिस पर हमारा कब्जा है, हमारा ताला लगा हुआ है। वादीगण को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द करने बाबत काउण्टर क्लेम पेश किया है। वादीगण गैर काबिज व गैरवास्ता शक्स है जिन्हें धारा 188 का वाद लाने का अधिकार कतई नही है। खसरा नम्बर 156 व खसरा नम्बर 81 का गत खसरा नम्बर 130 था। उक्त दोनों खसरा नम्बरों की सिंचाई चाह बाढवाला से होती थी जिस कुऐं पर साढे सात हॉर्स पावर का मोटर पम्प लगाया गया था। जिसमें वादीगण के बुजुर्ग व हम प्रतिवादीगण के बुजुर्ग का 1/4 हिस्सा सिंचाई करने का अधिकार है। जिस बाबत 25.02.1965 को वादीगण ने प्रतिवादगण के बुजुर्गान के मध्य इकरारनामा तहरीर व तकमील किया जाकर अपने अपने हस्ताक्षर व अंगूठा किये। गवाही गवाहान कराये गये जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 156 पर 25.06.1962 से निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण शुद्ध हस्त से यह वाद लेकर नही आये है। उन्होने अपने पिता किशन लाल मृतक की पुत्रियां यानि वादीगण ने अपनी बहनों कुन्दो व कमला मृतक के वारिसान को पक्षकार मुकदमा नही बनाया है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरूद्ध कोई नाजायज गिरोह बनाया हुआ नही है ओर ना ही किसी प्रकार का कोई झगडा करते है। वाद कारण घटना दिनांक 24.05.2007 मनमानी अंकित की है। जब वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 153 से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है तो डोल तोडे जाने का कोई मतलब ही नही है। वादीगण ने वाद कारण पैदा करने की गर्ज से वाद पूर्ति के लिए ये घटना 24.05.2007 दर्ज की है।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण का हाल खसरा नम्बर 81 व 153 से कोई लेना देना नही है। खसरा नम्बर 156 जो वादीगण के पिता ने प्रतिवादीगण के बुजुर्ग को दे दिया था। जिस पर प्रतिवादीगण काबिज है। प्रतिवादीगण का एडवर्स पजेशन है। एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते हे। हम प्रतिवादीगण, वादीगण के नाम को कलमजन कराकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है। हमारा लगभग 45 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। वादीगण इस मुकदमे की आड में प्रतिवादीगण की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। कृषि काश्तकारी कार्य में दखलंदाजी करते है एवं उक्त खसरा नम्बर को बेचान करने पर उतारू हो रहे है। मुखालफाना कब्जा होने के कारण हम प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव वादीगण को पाबन्द किया जावे।

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये काउण्टर क्लेम का जवाब पेश किया गया जिसमें जाहिर किया कि हाल खसरा नम्बर 156 रकबा 0.49 है० को वादीगण के पिता किशन लाल ने प्रतिवादीगण के पिता गंगालहरी को कभी काश्त के लिए नही दी ओर ना ही बेचान किया ओर ना ही उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। मुखालफाना कब्जे के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। प्रतिवादीगण ने अपने काउण्टर क्लेम में जाहिर किया है कि मौके पर उपरोक्त आराजी में बने हुए चाह पर पांच हॉर्स पावर का कृषि विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई सरोकार नही है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नही है। जब प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा ही नही रहा तो मुखालफाना कब्जा किस प्रकार से रहा। प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी व वादीगण का नाम कलमजन कराने के अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण ने उक्त खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

को हडप करने की गर्ज से गलत, मिथ्या, झूठे, बेबुनियाद, मनगढन्त व आधारहीन तथ्य पेश किये है, काउण्टर क्लेम खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर को बेचान करने को स्वतंत्र है। वादग्रढत आराजी खसरा नम्बर 81, 153 व 156 वादीगण की खातेदारी काश्तकारी के है। उक्त आराजीयात का विरासत का इंतकाल संख्या 9 दिनांक 25.05.2000 को वादीगण के नाम दर्ज होकर मंजूर हुआ है। उक्त आराजी में पुख्ता कमरा, बरामदा व चबूतरा वगै० बने है वो सब वादीगण के है। वादीगण उक्त उपभोग उपयोग करने व बेचान करने के लिए स्वतंत्र है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त खसरा नम्बर 156 को वादीगण के पिता द्वारा गंगालहरी को देना बताया है एवं दूसरी तरफ उक्त खसरा नम्बर को खरीदना बताया है दोनो ही बाते विरोधाभाषी है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के साथ जो काउण्टर क्लेम पेश किया है। हम वादीगण को तंग व परेशान करने की गर्ज से पेश किया है। काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है।

वाद में निम्न तनकीयात कायम की गईः–

01– आया वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। **–वादीगण**

02– आया वादीगण विवादित आराजी बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। **–वादीगण**

03– आया विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नही है। बल्कि प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त है। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(16)

04– आया प्रतिवादीगण का कब्जा मुखालफाना के आधार पर विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

–प्रतिवादीगण

05– अनुतोष

वाद में दिनांक 12.04.2017 को प्रतिवादीगण की एकतरफा कार्यवाही की गई एवं दिनांक 04.10.2017 को वादीगण द्वारा पेश किये गये गवाहान रामचरण, कजोड, ताराचंद, सेढूराम पर प्रदर्श डाले गये। वकील वादीगण की बहस सुनी गई। बहस में वादीगण के वकील ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए व दस्तावेजात का हवाला देते हुए वाद डिक्री करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं पत्रावली पर बनाये गये विवाद्यक अनुसार निम्न निर्णय किया जाता है:–

01– आया वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 24 पर ताराचंद, बेनीप्रसाद पि० हीरामन हिस्सा 1/2 व रामचरण पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/2 जाति माली साकिन उमरैण खातेदार दर्ज है एवं जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 में भी वादीगण के पिता हीरामन व रामचरण पि० किशन समान भाग खातेदार कोम माली साकिन देह अंकित किया है एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2060 से 2063 में भी हीरामनव रामचरण को खातेदार दर्ज किया हुआ है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सरोकार नही है। प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज जमाबन्दी, गिरदावरी पेश नही की है जिससे ये

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(12)

साबित हो की प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कोई हक व हिस्सा है। मात्र ये कह देने से की वादीगण ने बुजुर्ग ने प्रतिवादीगण के बुजुर्ग को आराजी खसरा नम्बर 156 रकबा 0.49 है० दे दिया था जिस पर प्रतिवादीगण का 45 वर्ष से कब्जा है मुखालखाना कब्जा होने के कारण उक्त खसरा नम्बर पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही किये जा सकते। वादी ने अपने वाद के समर्थन में कजोड, ताराचंद, रामचरण व सेढूराम के बयान कराये है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किया ना ही कोई साक्ष्य पेश किया। वादीगण इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

02– आया वादीगण विवादित आराजी बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

वादीगण एवं वादीगण के पिता वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान 81, 153, 156 वाके ग्राम बाढ केसरपुर के खातेदार काश्तकार है। जिन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 व 2060 से 2063 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2060 से 2063 पेश की है जिनसे ये साबित होता है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई सरोकार ना तो था ना है। प्रतिवादीगण ने अपना 45 वर्ष का कब्जा होना बताया है व मुखालखाना कब्जा होने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त करन चाहते है। राजस्थान में मुखालखाना कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कानून समाप्त कर दिया गया है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही है ना ही प्रतिवादीगण ने कोई खरीद बाबत दस्तावेज पेश किया है। खातेदार काश्तकार अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है। वादीगण इस

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(18)

तनकी को साबित करने मे सफल रहे है। वादी प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष में एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

03– आया विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नही है। बल्कि प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त है। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 व 2060 से 2063 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2060 से 2063 पेश की है जिनसे ये साबित होता है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में कोई किसी प्रकार का दस्तावेज जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी व बयनाम व मौखिक साक्ष्य पेश नही की है जिससे ये साबित होता हो की प्रतिवादीगण उक्त आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का मात्र ये कह देना की वादीग्रस्त आराजी का खसरा नम्बर 156 वादीगण के पिता किशनलाल ने प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गंगालहरी को दे दिया था गलत है एवं इस खसरा नम्बर में प्रतिवादीगण ने मकान, चबूतरा, जीना, रसोई आदि बनाई हो यह भी गलत है। वादीगण उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बरान के काबिज खातेदार काश्तकार है। जिन्हे प्रतिवादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण का यह कहना की हमारा लगभग 45 वर्ष से मुखालफाना कब्जा है ओर मुखालफाना कब्जे के आधार पर खातेदारी काश्तकारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है गलत है। प्रतिवादीगण, वादीगण जो काबिज खातेदार काश्तकार है को किसी भी प्रकार से स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नही है। अतः यह तनकी भी वादीगण

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

19

साबित करने के सफल रहे है एवं प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में असफल रहे है। इस कारण यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

04– आया प्रतिवादीगण का कब्जा मुखालफाना के आधार पर विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

राजस्थान में मुखालफाना कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कानून सन् 2011 में आरआरडी 1991 पेज 1 की रूलिंग को सेट–ए–साईड कर समाप्त कर दिया गया है। एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। प्रतिवादीगण ने अपने वाद के पक्ष में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी व मौखिक पेश नही किया है जिससे उनको खातेदारी अधिकार दिये जा सके। मुखालफाना कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते। प्रतिवादीगण मुखालफाना कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है। इस तनकी को प्रतिवादीगण साबित करने में असफल रहे है जिस कारण यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

05– अनुतोष

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान 81, 153, 156 वाके ग्राम बाढ केसरपुर के काबिज खातेदार काश्तकार है। जिन्होने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 व जमाबन्दी 2060 से 2063 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2060 से 2063 व मौखिक साक्ष्य कजोड, ताराचंद, रामचरण व सेढूराम के बयान कराये है एवं पेशकर्दा दस्तावेजात को प्रदर्श डाल कर साबित किया है। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य पेश नही की है जिससे उन्हे किसी प्रकार से

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

20

खातेदारी अधिकार प्राप्त हो। मात्र ये कह देने से की वादग्रस्त आराजी का खसरा नम्बर 156 वादीगण के बुजुर्ग श्री किशनलाल ने प्रतिवादीगण के बुजुर्ग श्री गंगालहरी को दे दिया था एवं प्रतिवादीगण उक्त खसरा नम्बर को खरीदना भी बताते है। प्रतिवादीगण का यह वर्जन विरोधाभाषी है। प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किये है। ऊपर वर्णित सभी तनकीयात वादी के पक्ष में निर्णित हुई है। यह तनकी भी वादी के पक्ष में ही निर्णित की जाती है।

अतः प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता है। वादीगण का वाद इस प्रकार निर्णय कर डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा 81 रकबा 0.62 है०, 153 रकबा 0.13 है० व 156 रकबा 0.49 है० कुल किता 3 रकबा 1.24 है० वाके ग्राम बाढ केसरपुर तहसील व जिला अलवर पर वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करे, जबरन कब्जा ना करे मौके पर पुख्ता कमरा, गैराज, पक्का चबूतरा पर जबरन कब्जा ना करे। निर्णय सुनाया गया तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर,
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(21)

प्रपत्र– 5

मूल वाद में संशोधित डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

न अधिकारी: देवेन्द्र सिंह परमार RAS

उनवान

हीरामन सैनी पुत्र श्री किशन लाल सैनी **बनाम** प्रेमकुमार पुत्र गंगा लहरी सैनी वगै०

दावा बाबत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मा नम्बर :– 1/364/2008

य दिनांक :– 21.06.2019

वादी की ओर से संजीव जैन अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नही। इस वाद में न तारीख 21.06.2019 को सहायक कलक्टर, अलवर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, देश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा 81 रकबा 0.62 है०, 3 रकबा 0.13 है० व 156 रकबा 0.49 है० कुल किता 3 रकबा 1.24 है० वाके ग्राम बाढ केसरपुर तहसील जिला अलवर पर वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करे, बरन कब्जा ना करे मौके पर पुख्ता कमरा, गैराज, पक्का चबूतरा पर जबरन कब्जा ना करे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21.06.2019. को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर, अलवर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4........ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशित की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया

Scanned by CamScanner